...किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राजस्व विभाग, दिल्ली

5, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स दिल्ली - 110054

छात्रवृत्ति की घोषणा: 2021-22

(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2021-22 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है। ''राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।''

समय-सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने वर्ष 2021-22 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	15 नवंबर, 2021
	(i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (ii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	30 नवंबर, 2021

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन में से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों/स्कूलों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछली बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

आवेदकों के लिए निर्देश

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइटः www.scholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप- National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि केवल वहीं बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में हो या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए निर्देश

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 15 अक्टूबर, 2021 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया हो)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in जाएं।

समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री) - 1800-11-2001 (समय सुबह 9.00 से सायं 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुटियों को छोड़कर)।

संपर्कः राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार E-mail: minoritycellhqdelhi@gmail.com

प्रधान सचिव
राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार

DIP/Shabdarth/0335/21-22

Sonu Kumar
Nodal OFFICER
NSP & E-Distric Portal
Kalindi College

Naina
PRINCIPAL
KALINDI COLLEGE
(UNIVERSITY OF DELHI)
EAST PATEL NAGAR
NEW DELHI-110008

CC - Notice Board & Website